XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 353–तीन/04 जिला – मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 891/अ–19/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 18–11–03 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम डाढी के ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि खसरा नं. 307 रकबा 0.24 हैक्टर नायब तहसीलदार, द्वारा आवेदक एवं अन्य को आवंटित किया गया है जो कि आम निस्तारी तालाब है । अतः विवादित भूमि उन्हें निस्तार के लिए उपलब्ध कराई जाये । इस आधार पर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को सुनकर आदेश दिनांक 9–7–01 को आदेश पारित करते हुए पट्टा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गईजो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय अभिलेख में तालाब दर्ज है और	

समक्ष:-न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
= =

पुन0प्र0क्र0 R 353/III/2004 R-353-III/04

:::

याचिकाकार ....
पुनरीक्षणकर्ता

भगवानी अहीर आ0 बरातू अहीर
आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी
ग्राम-दादी, पो0आ0-भानपुर,
तहसील-बिछिया, जिला मण्डला (म0प्र0)

विरुद्ध
=-=

प्रत्यर्थीगण ....

1/-मध्य प्रदेश शासन,
2/-सरपंच ग्राम पंचायत दादी (भानपुर)
तहसील बिछिया, जिला मण्डला ।

:=:

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

आलोच्य आदेश
============

न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर द्वारा अपील प्र0क्र0-891/अ-19/2000-01, पक्षकार भगवानी विरुद्ध शासन व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2003, उक्त प्रकरण श्रीमान् कलेक्टर मण्डला द्वारा शिकायत क्र.- 15/अ-19/94-95 में पारित आदेश दिनांक 9.7.2001 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया था ।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में :
=====================

(1) यह कि, प्रश्नगत कृषि भूमि ग्राम दादी रे0 प0ह0नं0- 94 में स्थित खसरा नंबर-307, रकबा ..2680 भूमि भगवानी याचिकाकार व श्रीमति फूला बाई अहीर की है ।

(2) यह कि, प्रश्नगत कृषि भूमि पूर्व में याचिकाकार व श्रीमति फूला बाई को संयुक्त रूप से नायब तहसीलदार मवई द्वारा शासकीय योजना अंतर्गत याचिकाकार के दीर्घ कालीन आधिपत्य एवं याचिकाकार के वैध